

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक : 28 मार्च, 2016

**सा.का.नि.343(अ).**- भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 630(अ), तारीख 20 जुलाई, 1998 की अधिसूचना द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के माध्यम से देश में उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक विनियामक ढांचे का उपबंध किया गया था;

और इन नियमों को अधिक प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने और पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर प्रबंधन में संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण, परिष्करण और निपटान में सुधार करने के लिए, जिससे जैव-चिकित्सा अपशिष्ट कम उत्पन्न हो और पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़े, केन्द्रीय सरकार ने विद्यमान नियमों की समीक्षा की है;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने सा.का.नि.सं.450(अ), दिनांक 03 जून, 2015 के तहत राजपत्र में प्रारूप नियम प्रकाशित किए थे जिसमें जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन), नियम, 1998 के अधिक्रमण में जैव-चिकित्सा (प्रबंधन और प्रहस्तन), नियम 2015 पर उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के अंदर जनता से आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

उक्त प्रारूप नियम निहित राजपत्र की प्रतियां दिनांक 03 जून, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियम के संबंध में निर्धारित अवधि के अंदर जनता से प्राप्त आपत्तियों अथवा टिप्पणियों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत विचार किया गया है;

अब, इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नियम अधिसूचित करती है :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

## 2. लागू होना.-

(1) ये नियम अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिकों, औषधालयों, पशु चिकित्सा संस्थाओं, पशु गृहों, पैंथेल्सॉजिकल प्रयोगशालाओं, रक्त बैंकों, आयुष अस्पतालों, क्लिनिकल स्थापनाओं, अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं, स्वास्थ्य शिविरों, चिकित्सा अथवा शल्यचिकित्सा केंद्रों, टीकाकरण केंद्रों, रक्तदान केंद्रों, विद्यालयों के प्रथम चिकित्सा कक्षाओं, अदालती प्रयोगशालाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं सहित उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे, जो किसी भी रूप में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उत्पादन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, शोधन, व्ययन या प्रहस्तन करते हैं।

(2) ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :

- (क) रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन आते हैं;
- (ख) अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 में शामिल परिसंकटमय रसायन;
- (ग) अधिनियम के अधीन बनाए गए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के अधीन आने वाले ठोस अपशिष्ट;
- (घ) अधिनियम के अधीन बनाए गए बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 के अधीन आने वाली लैड एसिड बैटरियां;
- (ङ.) अधिनियम के अधीन बनाए गए परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचालन) नियम, 2008 के अधीन आने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट।
- (च) अधिनियम के अधीन बनाए गए ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 के अधीन आने वाला अपशिष्ट; और
- (छ) अधिनियम के अधीन बनाए गए परिसंकटमय सूक्ष्मजीवों का विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण, अनुवांशिक रूप से तैयार किए गए सूक्ष्मजीव या कोशिका नियम, 1989 के अधीन आने वाले परिसंकटमय सूक्ष्मजीव, अनुवांशिक रूप से तैयार किए गए सूक्ष्म जीव और कोशिकाएं।

3. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;
- (ख) "पशु गृह" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां जीव जंतुओं को अनुसंधान या परीक्षण के प्रयोजनों के लिए पशुओं का पालन-पोषण किया जाता है/रखा जाता है;

- (ग) "प्राधिकरण" से इन नियमों और यथास्थिति, भारत सरकार अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार व्ययन और/या किसी भी अन्य प्रकार के हथालन के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अनुमति अभिप्रेत है;
- (घ) "प्राधिकृत व्यक्ति" से इन नियमों और यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों और जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट के जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन और/या किसी भी अन्य प्रकार के हथालन हेतु, के लिए विहित प्राधिकारी प्राधिकृत कोई अधिभोगी या प्रचालक अभिप्रेत है।
- (ङ.) "जैविक" से जीवों या सूक्ष्मजीवों का उपापच्छ या जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्पादों से बनाई गई विनिमित्तियां जो मानवों या पशुओं के निदान प्रतिरक्षण या शोधन में या उससे संबंधित अनुसंधान कार्यकलापों में उपयोग के लिए आशयित है;
- (च) "जैव चिकित्सा अपशिष्ट" से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है, जिसका जनन मानवों या पशुओं के निदान, शोधन या प्रतिरक्षण के दौरान या उससे संबंधित अनुसंधान कार्यकलापों या जैविकीय उत्पादन या परीक्षण में विभिन्न स्वास्थ्य केंपों में जिसके अधीन इन नियमों की अनुसूची-I में उल्लिखित प्रवर्ग भी है, के दौरान हुआ है;
- (छ) "जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन और व्ययन सुविधा" से कोई ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जिसमें जैव चिकित्सा अपशिष्ट का शोधन, व्ययन या ऐसे शोधन और व्ययन से आनुषंगिक प्रक्रियाएं की जाती हैं और इसमें सामान्य जैव-चिकित्सा शोधन सुविधाएं भी सम्मिलित हैं;
- (ज) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;
- (झ) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के संबंध में "हथालन" से अभिप्रेत है ऐसे अपशिष्ट का जनन, छंटनी, पृथक्करण, संग्रहण, उपयोग, भंडारण, पैकेजिंग, लदान, परिवहन, उतराई, प्रसंस्करण, शोधन, नष्ट करना, रूपांतरण, बिक्री के लिए प्रस्तुत करना, स्थानान्तरण, निपटान और इसी प्रकार के कार्य;
- (ञ) "स्वास्थ्य देखभाल सुविधा" एक ऐसा स्थान है जहां मानवों अथवा पशुओं का निदान, उपचार या प्रतिरक्षण किया जाता है, स्वास्थ्य उपचार प्रणाली का स्वरूप और आकार तथा उससे संबंधित अनुसंधान कार्यकलाप चाहे जो भी हो;
- (ट) "भारी दुर्घटना" से अभिप्राय जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन करते समय होने वाली ऐसे दुर्घटना से है जिसका बड़ी संख्या में आम जनता पर प्रभाव पड़ सकता है जैसे कि जैव-चिकित्सा अपशिष्ट ले जा रहे ट्रक का पलट जाना, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का दुर्घटनावश

किसी जल निकाय में चले जाना आदि जिसमें सूई से लगने वाली जैसी चोट पारे का हुलकन दुर्घटनाएं शामिल नहीं हैं।

- (ठ) "प्रबंधन" में वे सभी उपाय शामिल होते हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित होते हैं कि जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन इस ढंग से किया जाए जिससे ऐसे अपशिष्ट के हथालन की वजह से होने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव से स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा हो सके;
- (ड) "अधिभोगी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को उत्पन्न करने वाली संस्था और परिसर पर प्रशासनिक नियंत्रण हो, जिनमें उनकी औषधि की प्रणाली तथा जिसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, औषधालय, पशु चिकित्सा संस्थाएं, पशु गृह, पैथैलॉजिकल प्रयोगशालाएं, ब्लड बैंक, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं तथा क्लीनिकल स्थापनाएं शामिल हैं;
- (ढ) "किसी साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा के प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, शोधन, व्ययन या किसी भी प्रकार के हथालन हेतु किसी साझा सुविधा का स्वामी है या उसे नियंत्रित करता है;
- (ण) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है राज्यों के मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में प्रदूषण नियंत्रण समितियां।
- (त) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

4. **अधिभोगी के कर्तव्य.-** प्रत्येक अधिभोगी का कर्तव्य होगा कि :

- (क) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करे कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इन नियमों के अनुसार हो;
- (ख) अपने परिसर के अंदर अनुसूची-I के अनुसार रंग वाले बैगों या पात्रों में पृथक किए गए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के भंडारण के लिए सुरक्षित, संवातित और संरक्षित स्थान की व्यवस्था करना ताकि कोई गौण हथालन न हो, पुनःचक्रण योग्य सामग्री भूषण न हो या अनवधानता से छितराया न हो या पशुओं द्वारा बिखराया नहीं जाए और ऐसे स्थान या परिसर से जैव चिकित्सा अपशिष्ट को इन नियमों में विहित तरीके से सीधे साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा के लिए या समुचित शोधन और निपटान के लिए अनुसूची-I में यथा विहित रीति, जैसा भी मामला भेजा जाना जाएगा।

- (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रयोगशाला अपशिष्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल अपशिष्ट, रक्त के नमूनों और रक्त की थैलियों का विसंक्रमण अथवा जीवाणुनाशन के जरिए स्थल पर पूर्व-शोधन करेगा और उसके बाद अंतिम निपटान के लिए साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा में भेजेगा;
- (घ) अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के अंदर क्लोरीनेटेड प्लास्टिक की थैलियों, दस्तानों और रक्त की थैलियों का उपयोग बंद करना;
- (ङ.) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट से भिन्न अन्य ठोस अपशिष्ट का निपटान सुसंगत और समय समय पर यथा संशोधित विधियों में अधीन बनाये गये संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उपबंधों अनुसार करना;
- (च) उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नहीं देना;
- (छ) जैव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अन्तर्वलित कर्मकारों और अन्यो के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उन्हें भर्ती करने के समय और उसके बाद कम से कम वर्ष में एक बार प्रशिक्षण देना। आयोजित किए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रशिक्षित किए गए कर्मिकों की संख्या और कोई प्रशिक्षण न लेने वाले कर्मिकों की संख्या के ब्यौरे उपलब्ध कराना और उसे वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करना;
- (ज) प्रतिरक्षण नीति अथवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा विहित रीति से हेपेटाइटिस बी और टिटेनस सहित उन रोगों से जैव चिकित्सा अपशिष्ट से हथालन में अन्तर्वलित स्वास्थ्य देखभाल कर्मकारों या अन्यो को बचाने के लिए जो जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन के कारण संक्रमित हो सकते हैं;
- (झ) इन नियमों के अधीन अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के अंदर किसी भी प्रयोजन के लिए परिसर या स्थान से बाहर भेजे जाने वाले जैव-चिकित्सा अपशिष्ट अन्तर्विष्ट वाले बैगों या आघानों के लिए बार-कोड प्रणाली की स्थापना करना;
- (ञ) जनन बिन्दु पर द्रव रसायन अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य देखभाल सुविधा से जनित अन्य बहिःस्राव के साथ मिश्रित होने से पहले पूर्व-शोधन या निष्प्रभावन सुनिश्चित करना;
- (ट) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अनुसार द्रव अपशिष्ट का शोधन और निपटान सुनिश्चित करना;

- (ठ) समुचित और पर्याप्त व्यक्तिगत संरक्षणकारी उपस्कर प्रदान करके जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अन्तर्वलित अपने सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मकारों और अन्यो की वृत्तिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- (ड) जैव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अंतर्वलित अपने सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मकारों और अन्य की भर्ती करते समय और वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच आयोजित करना और उसका रिकॉर्ड रखना।
- (ढ) जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणी, रंग कोड के अनुसार अनुसूची-1 में यथा और अनुरक्षित विनिर्दिष्ट जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंध का रजिस्टर रखना और इसे प्रतिदिन अद्यतन और अनुरक्षित करना तथा अपनी वेबसाइट पर मासिक रिकॉर्ड प्रदर्शित करना;
- (ण) जैव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन के दौरान अग्नि संकट, विस्फोट जैसी दुर्घटनाओं सहित प्रमुख दुर्घटनाओं और की गई उपचारात्मक कार्रवाई की सूचना प्ररूप 1 में (शून्य सूचना सहित) विहित प्राधिकारी को और साथ ही वार्षिक रिपोर्ट के साथ भी दी जाएगी।
- (त) वार्षिक रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा और सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के अंदर अपनी वेबसाइट बनाएंगे।
- (थ) यदि किसी सुविधा का प्रचालक अभिप्रेत समय के अंदर या सहमत समय के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण नहीं करता तो तत्काल विहित प्राधिकारी को सूचित करना।
- (द) वर्तमान समिति के माध्यम से अथवा नई समिति बनाकर जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध से संबंधित कार्यकलापों की समीक्षा का पुनरावलोकन मॉनीटरिंग करने के लिए एक प्रणाली की स्थापना करना। यह समिति छह माह में एक बार बैठक करेगी। इस समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का रिकॉर्ड वार्षिक रिपोर्ट के साथ विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। तीस बिस्तरों से वाली स्वास्थ्य देखभाल स्थापनाएं अपनी स्थापना के अंदर जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध से संबंधित कार्यकलापों का पुनरावलोकन और मॉनीटरिंग करने के लिए एक सुयोग्य व्यक्ति पदानिहित करेंगी और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
- (ध) भस्मीकरण, हाडड्रो या ऑटोक्लेविंग आदि के प्रचालन का समस्त रिकॉर्ड पांच वर्ष तक रखना।
- (न) इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के भीतर द्वितीय चैम्बर और डाईआक्सीजन तथा फुरान के बचाए रखने के समय के लिए अनुसूची 2 में यथा विहित जैव चिकित्सा अपशिष्टों के उपचार और निपटान के लिए मानकों को प्राप्त करने के लिए विद्यमान भस्मन यंत्र।

5. **साझा-जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा प्रचालक के कर्तव्य.-** प्रत्येक प्रचालक का यह कर्तव्य होगा कि वह -
- (क) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए कि अधिभोगी से संग्रहित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का परिवहन हथालन, भंडारण, उपचार और व्ययन इन नियमों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार या जैसा भी मामला हो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जा रहा है;
  - (ख) इन नियमों के अधीन यथा विहित अधिभोगी से समय से जैव चिकित्सा अपशिष्ट का एकत्रण को सुनिश्चित करना;
  - (ग) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन के लिए एक वर्ष के अंदर बार-कोडिंग और ग्लोबल प्रोजिशनिंग प्रणाली लगाना;
  - (घ) उन अधिभोगियों के संबंध में, जो इन नियमों के अनुसार पृथक किए गए जैव चिकित्सा अपशिष्ट को सौंप नहीं हो रहे हों, विहित प्राधिकारी को तत्काल सूचित करना।
  - (ङ.) जैव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अन्तर्वलित अपने सभी कर्मकारों को उनको भर्ती और तत्पश्चात वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षण प्रदान करे।
  - (च) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उनके द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में अधिभोगी की सहायता करना।
  - (छ) जैव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में संक्रमण की आशंका वाले रोगों, जिनमें हैपेटाइटिस बी और टिटनेस शामिल हैं, के बचाव हेतु जैव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अन्तर्वलित अपने सभी कर्मकारों की समुचित ढंग से तैनाती पूर्व चिकित्सा जांच और कम से कम वर्ष में एक बार चिकित्सा जांच और प्रतिरक्षण करवाना जिनके जैव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन के दौरान फैलने की संभावना है तथा उसके अभिलेख का अनुरक्षण करना;
  - (ज) जैव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन में अंतर्वलित अपने सभी कर्मकारों को समुचित और पर्याप्त व्यक्तिगत संरक्षणकारी उपस्कर प्रदान करते हुए उनकी वृत्तिक सुरक्षा सुनिश्चित करना;
  - (झ) जैव चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन के दौरान अग्नि संकट, विस्फोट जैसी दुर्घटनाओं सहित प्रमुख दुर्घटनाओं और की गई उपचारात्मक कार्रवाई की सूचना प्ररूप 1 में (शून्य सूचना सहित) विहित प्राधिकारी को और साथ ही वार्षिक रिपोर्ट भी दी जाएगी।

- (ज) अपने प्रत्येक उपचार उपस्कर के लिए बैच के भार, उपचारित अपशिष्ट की श्रेणियों, शोधन चक्र के समय, तारीख और अवधि तथा प्रचालन के कुल घंटों के अनुसार एक लागू बुक रखना।
- (ट) जो अधिभोगी प्रचालक को शोधन के लिए अपशिष्ट दे रहे हैं, उन्हें यह देखने की अनुमति देना कि उपचार नियमों के अनुसार किया गया है;
- (ठ) प्राधिकरण उपचार, वार्षिक रिपोर्ट आदि के ब्यौरे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।
- (ड) विकृत कर दिए जाने या कतरन बना दिए जाने के बाद, जो भी लागू होता हो, ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग द्वारा शोधन सुनिश्चित करने के बाद शोधित जैव-चिकित्सा अपशिष्टों में से पुनःचक्रण योग्य पदार्थों को, जैसे कि प्लास्टिक और शीशा आदि, ऐसे पुनः चक्रणकर्ताओं को दिया जाएगा जिनके पास संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति की विधिमान्य सहमति, प्राधिकार या रजिस्ट्रीकरण हो;
- (ढ) यदि अपेक्षित हो तो अधिभोगी को प्रभार्य आधार पर गैर-क्लोरीनेटेड प्लास्टिक की रंगीन थैलियों की आपूर्ति करेगा।
- (ण) साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा छुट्टी के दिन भी जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण सुनिश्चित करेगी।
- (त) भस्मन यंत्र, हाइड्रूर ऑटोक्लेविंग के प्रचालन का समस्त रिकॉर्ड पांच वर्ष की अवधि तक रखेगा।
- (थ) सेकेंड्री चैम्बर और डाइऑक्सिन और फुरान में बनाए रखने के मानक प्राप्त करने के लिए विद्यमान भस्मन यंत्रों का उन्नयन इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के अंदर करेगा।
6. **प्राधिकारियों के कर्तव्य.-** अनुसूची-III के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा।
7. **उपचार और व्ययन.-** (1) स्वास्थ्य अनुरक्षण सुविधा और साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट का शोधन और व्ययन अनुसूची-I के अनुसार और अनुसूची-2 में उपबंधित मानकों के अनुपालन में किया जाएगा।
- (2) अधिभोगी अनुसूची-I के अनुसार पृथक किए गए अपशिष्ट को उपचारित, प्रसंस्करण और अंतिम निपटान के लिए साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा को सौंपेगा :
- परन्तु यह कि प्रयोगशाला और उत्पन्न होने वाले अत्यधिक संक्रमित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव जैसे उपस्कर द्वारा पूर्व-शोधन किया जाए।

- (3) कोई भी अधिभोगी स्थल पर शोधन और निपटान सुविधा स्थापित नहीं करेगा, यदि साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा पचहत्तर कि.मी. की दूरी पर उपलब्ध है।
- (4) जिस मामले में साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन की सेवा उपलब्ध नहीं है उसमें अपना प्रचालन प्रारम्भ करने से पूर्व अधिभोगी विहित प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्राधिकार के अनुसार भस्मन यंत्र, ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव, श्रेडर जैसे अपेक्षित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन उपकरण स्थापित करेगा।
- (5) किसी साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा के अधिभोगी या प्रचालक सहित कोई भी व्यक्ति जिसका जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार हेतु अनुसूची-I में सूचीबद्ध से भिन्न उपचार की नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का आशय है, वह केन्द्रीय सरकार से मानकों या प्राचलित प्राचलों के निर्धारण हेतु अनुरोध करेगा।
- (6) केन्द्रीय सरकार उप नियम (5) में निर्दिष्ट अनुरोध की प्राप्ति पर नई प्राद्योगिकी के मानकों और प्राचलित प्राचलों को अवधारित करेगी और राजपत्र में प्रकाशित करेगी।
- (7) साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा का प्रत्येक प्रचालक अपना प्रचालन आरंभ करने से पहले शोधन के एक भाग के रूप में भस्मन यंत्र, ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव, श्रेडर और बहिःस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करेगा।
- (8) प्रत्येक अधिभोगी द्वारा इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के अंदर गैर-क्लोरीनीकृत प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। ऐसे नियमों के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के बाद क्लोरीनीकृत प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के भंडारण और परिवहन के लिए नहीं किया जाएगा तथा साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक भस्मन के द्वारा इस प्रकार की थैलियों का निपटान नहीं करेगा और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के भंडार एवं परिवहन के लिए उपयोग में लाई गई थैलियां भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मानकों के अनुरूप होंगी। जब तक मानक प्रकाशित नहीं किए जाते तब तक कैरी बैग प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2011 के अनुसार होंगे।
- (9) विकृत या कतरन कर दिए जाने के बाद, जो भी लागू हो, ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग द्वारा शोधन सुनिश्चित करने के बाद शोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट से पुनःचक्रण योग्य वस्तुएं जैसे कि प्लास्टिक और शीशा आदि ऐसे पुनःचक्रकों को दी जाएंगी जिनके पास संबंधित विहित प्राधिकारी से विधि मान्य प्राधिकार या रजिस्ट्रीकरण होगा।
- (10) साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक उप-नियम (9) में निर्दिष्ट ऐसे पुनःचक्रण योग्य अपशिष्ट का रिकॉर्ड रखेगा जिसकी नीलामी या बिक्री की गई

है और उसे वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। यह रिकॉर्ड विहित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

(11) समस्त पारे के अपशिष्ट और सीसा के अपशिष्ट का निपटान संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

8. **पृथक्करण, पैकेजिंग, परिवहन और भंडारण.-** (1) अनुपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट को अन्य अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाया जाएगा।

(2) जैव चिकित्सा अपशिष्ट को उसके भंडारण, परिवहन, उपचार और व्ययन से पहले अनुसूची-I के अनुसार सृजन के स्थान पर आधान या थैलों में पृथक किया जाएगा।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट आधान या बैग पर अनुसूची-IV में यथा विनिर्दिष्ट लेबल लगाया जाएगा।

(4) अधिभोगी और साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा द्वारा एक वर्ष अंदर बार कोड और ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली जोड़ी जाएगी।

(5) साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा का प्रचालक किसी ऑफ साइट जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा के लिए किसी अधिभोगी के परिसर से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का परिवहन केवल ऐसे वाहनों में करेगा जिन पर अनुसूची-IV के भाग 'ख' में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक सूचना के साथ अनुसूची-IV के भाग 'क' में यथा उपबंधित लेवल लगे हों।

(6) जैव चिकित्सा अपशिष्ट के परिवहन के लिए उपयोग में लाए गए वाहन इस प्रकार के संक्रमित अपशिष्ट के परिवहन के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) में अंतर्विष्ट अपेक्षाओं, यदि कोई हो, के अतिरिक्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति अधीन या इसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित शर्तों, यदि कोई हो, का पालन करेंगे।

(7) गैर-शोधित मानव शरीर अपशिष्ट, पशु शरीर अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट या जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट का भंडारण अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के लिए नहीं किया जाएगा।

परंतु शर्त यह है कि यदि किसी कारण से इस प्रकार का अपशिष्ट इस अवधि से अधिक भंडारण करना आवश्यक हो जाता है तो अधिभोगी यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगा कि यह अपशिष्ट मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव न डाले और ऐसा करने के कारणों की सूचना विहित प्राधिकरण को देगा।

(8) पैकिंग करने और साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा को भेजने से पहले सूक्ष्म जीव विज्ञान अपशिष्ट और समस्त अन्य क्लिनिकल प्रयोगशाला अपशिष्ट को स्टेरिलाइजेशन टु लॉग 6 अथवा डिसइन्फेक्शन टु लॉग 4 के द्वारा पूर्व उपचारित किया जाएगा।

9. **विहित प्राधिकरण.-** (1) इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए विहित प्राधिकरण राज्यों के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण समितियां होंगी।

(2) सभी स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिसके अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सेना के अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिकों, औषधालयों, पशु-चिकित्सा संस्थानों, पशु-गृह, विकृति विज्ञान प्रयोगशालाओं और रक्त बैंक भी हैं इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन हेतु विहित प्राधिकारी महानिदेशक, सहस्र सेना चिकित्सा सेवाएं को रक्षा मंत्रालय के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(3) विहित प्राधिकरण इन नियमों की अनुसूची-III में यथा अनुबद्ध उत्तरदायित्वों का अनुपालन करेगा।

10. **प्राधिकार के लिए प्रक्रिया.-** जैव चिकित्सा का अपशिष्ट का हथालन करने वाला प्रत्येक अधिभोगी या प्रचालक, मात्रा चाहे जो भी हो, प्राधिकार की मंजूरी के लिए विहित प्राधिकरण अर्थात् राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्ररूप-2 में आवेदन करेगा और विहित प्राधिकरण प्ररूप 3 में अनंतिम प्राधिकार मंजूर करेगा और बिस्तर वाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और साझा सुविधा के प्रचालक के लिए उक्त प्राधिकार की विधिमान्यता, सहमतियों की विधिमान्यता की समकालिक (एक समय) होगी।

(1) बिना बिस्तर वाले अधिभोगियों को एक बार का प्राधिकार दिया जाएगा और इस प्रकार के मामलों में प्राधिकार को अनुदत्त मान लिया जाएगा यदि विहित प्राधिकारी से सम्यक रूप से संपूर्ण आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त होने के नब्बे दिन की अवधि के अंदर उस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है।

(2) विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार के नवीकरण के लिए मना करने, रद्द करने या निलंबित करने के मामले में कारणों को लिखित रूप में लेखबद्ध किया जाएगा।  
बशर्ते कि प्राधिकार के लिए मना करने से पूर्व विहित प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई के लिए एक अवसर देगा।

(3) प्राधिकार के लिए प्रत्येक आवेदन का निपटान विहित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्यक रूप से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के अंदर किया जाएगा, जिसके न होने पर यह मान लिया जाएगा कि इन नियमों के अधीन प्राधिकार मंजूर कर दिया गया है।

(4) जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उत्पादन, हथालन, उपचार और निपटान में कोई परिवर्तन हो जाने के मामले में, जिसके लिए पूर्व में प्राधिकार मंजूर किया गया था, अधिभोगी या प्रचालक कार्यकलाप में बदलाव या अंतर के बारे में विहित प्राधिकारी को सूचित करेगा और प्राधिकार की शर्तों में संशोधन के लिए प्ररूप 2 में नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

11. **सलाहकार समिति.-** (1) संबंधित राज्य में इन नियमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने और किसी सुधार की सलाह देने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संबंधित स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करेगा। इस समिति में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के स्वास्थ्य, पर्यावरण, शहरी विकास, पशुपालन और पशुचिकित्सा विज्ञान के विभागों या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, शहरी स्थानीय निकायों या स्थानीय निकायों या नगर निगमों के प्रतिनिधि, भारतीय चिकित्सा संघ, साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा और गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रक्षा मंत्रालय द्वारा महानिदेशक, सशस्त्र सेना स्वास्थ्य सेवा की अध्यक्षता में उक्त समिति गठित की जाएगी जिसमें रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा कॉलेज या कमान अस्पताल के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(3) उप नियम (1) और (2) के अधीन गठित यह समिति कम से कम छः महीने में एक बार बैठक करेगी और यथास्थिति राज्य और सशस्त्र सेना स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में इन नियमों के उपबंध के लागू होने संबंधी सभी मामलों की समीक्षा करेगी।

(4) स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकते हैं।

12. **स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में नियमों के लागू होने की मॉनीटरिंग.-** (1) राज्य स्वास्थ्य सचिवों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्षों या सदस्य-सचिवों के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वर्ष में एक बार देश में इन नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा और मंत्रालय, यदि अपेक्षित हो, तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध के क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन समस्त सशस्त्र सेना स्वास्थ्य देखभाल स्थापनाओं के संबंध में इन नियमों के लागू होने की मॉनीटरिंग करेगा।

- (3) महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा को पूर्व सूचना देने के बाद केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियम 11 के उप-नियम (2) के अधीन गठित सलाहकार समिति के एक या अधिक प्रतिनिधियों के साथ किसी भी सशस्त्र सेना स्वास्थ्य देखभाल स्थापना का निरीक्षण कर सकता है।
- (4) जैव चिकित्सा अपशिष्ट पैदा करने वाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधाओं में, जिनमें जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का शोधन और निपटान किया जाता है, इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन की मॉनीटरिंग करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन जिला नियंत्रक या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त या अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिलों में जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति गठित की जाएगी।
- (5) उप-नियम (4) के अधीन गठित जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति अपनी रिपोर्ट छह महीने में एक बार राज्य सलाहकार समिति को प्रस्तुत करेगी और उसकी एक प्रति आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को भी भेजेगी।
- (6) जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति में जिला चिकित्सा अधिकारी या जिला स्वास्थ्य अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग, स्थानीय निकायों, नगर निगम, भारतीय चिकित्सा संघ, साझा जीवचिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध के क्षेत्र में कार्यरत रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और यह समिति, यदि आवश्यक हो, तो अन्य सदस्यों और विशेषज्ञों के सहयोजित कर सकती है और जिला चिकित्सा अधिकारी इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे।
13. **वार्षिक रिपोर्ट.-** (1) साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा का प्रत्येक अधिभोगी या प्रचालक प्रत्येक वर्ष 30 जून तक प्ररूप 4 में विहित प्राधिकारी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (2) विहित प्राधिकारी प्राप्त सूचना का समेकन, समीक्षा और विश्लेषण करेगा और इस सूचना को प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को या उससे पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजेगा।
- (3) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड प्राप्त सूचना का समेकन, समीक्षा और विश्लेषण करेगा और अपनी टिप्पणियों या सुझावों या पर्यवेक्षणों के साथ इन सूचनाओं को प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को या उससे पूर्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजेगा।
- (4) अधिभोगियों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइटों पर सभी की वार्षिक रिपोर्टें भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी।

14. **अभिलेखों को रखना.-** (1) प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति इन नियमों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण, प्राप्ति, भंडारण, परिवहन, उपचार, निपटान या हथालन के किसी अन्य प्रकार से संबंधित रिकॉर्ड रखेगा।
- (2) समस्त रिकॉर्ड किसी भी समय विहित प्राधिकारी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निरीक्षण और सत्यापन के अधीन होंगे।
15. **दुर्घटना की सूचना देना.-** (1) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन करते समय किसी संस्था या सुविधा या किसी स्थल पर कोई भारी दुर्घटना हो जाने के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी दुर्घटना के बारे में विहित प्राधिकारी को तत्काल सूचित करेगा और चौबीस घंटे के अंदर प्ररूप 1 में लिखित रूप में किए गए उपचारात्मक उपायों के बारे में सूचित करेगा।
- (2) सभी अन्य दुर्घटनाओं और किए गए उपचारात्मक उपायों के बारे में सूचना अधिभोगी द्वारा नियम 13 के अनुसार विहित प्राधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराई जाएगी।
16. **अपील.-** (1) इन नियमों के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से कोई भी व्यक्ति उस तारीख से जिसको उसे आदेश की संसूचना दी जाती है, तीस दिन के अवधि के भीतर राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिव (पर्यावरण) को प्ररूप 5 में अपील कर सकेगा।
- (2) इन नियमों के अधीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको उसे आदेश संसूचित किया जाता है, तीस दिन के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्ररूप 5 में अपील प्रस्तुत कर सकता है।
- (3) यथा स्थिति उप पैरा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी तीस दिनों की उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात अपील पर ग्रहण कर सकेगा, यदि वह उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल न कर पाने के पर्याप्त कारण से रोका गया था।
- (4) अपील का निपटान उसे फाइल करने के तारीख से नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा।
17. **साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा के लिए स्थल.-** (1) इन नियमों के नियम 5 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिस विभाग को भूमि समनुदेशित करने का कार्य आवंटित किया गया है वह राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) ऐसी सुविधा की स्थापना हेतु स्थल का चयन विहित प्राधिकारी, अन्य पण धारकों के परामर्श से और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसरण किया जाएगा।

18. सुविधा के अधिभोगी, प्रचालक का दायित्व.- (1) साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा का अधिभोगी अथवा प्रचालक जैव अचिकित्सा अपशिष्टों के अनुचित हथालन के कारण पर्यावरण अथवा जनता को होने वाली नुकसानियों के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक किसी भी अतिक्रमण के मामले में अधिनियम की धारा 5 और धारा 15 के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा।

### अनुसूची-I

(नियम 3 (ड), 4(ख), 7(1), 7(2), 7(5), 7(6) और 8(2) देखें)

#### भाग-1

जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों की श्रेणियां तथा उनके पृथक्करण, संग्रहण, उपचार, प्रसंस्करण के विकल्प

श्रेणी	अपशिष्ट का प्रकार	प्रयोग की जाने वाली थैली/आधान का प्रकार	उपचार और निपटान विकल्प
(1)	(2)	(3)	(4)
पीला	<b>(क) मानवीय शारीरिक अपशिष्ट:</b> मानवीय ऊतक, अंग, शरीर के अवयव जीवनक्षम अवधि से कम के भ्रूण (समय-समय पर संशोधित गर्भ या चिकित्सा समापन अधिनियम, 1971 के अनुसार)	पीले रंग की गैर क्लोरीनीकृत प्लास्टिक की थैलियां	भस्मन या प्लाज्मा पाइरोलाइसिस या गहरा दबाना*

	<p><b>(ख) पशु शारीरिक अपशिष्ट :</b></p> <p>पशु चिकित्सालयों या महाविद्यालयों अथवा पशु गृहों से उत्पन्न अपशिष्ट सहित प्रयोगात्मक पशु मृत शरीर, शरीर के अवयव, अंग, ऊतक।</p>		
	<p><b>(ग) ठोस अपशिष्ट :</b></p> <p>रक्त शारीरिक स्राव से युक्त मर्दे जैसे, पट्टी, प्लास्टर, कास्ट, कपड़े की झाड़ने और अवशेष या निष्प्रयोजन रक्त और रक्त के घटकों से भरी थैलियां।</p>		<p>भस्मन या प्लाज्मा पाइरोलाइसिस या गहरा दबाना*</p> <p>उपर्युक्त सुविधाओं की अनुपस्थिति में; ऑटोक्लेविंग अथवा माइक्रो-वेविंग/ हाइड्रोक्लेविंग के बाद श्रेडिंग अथवा म्युटिलेशन अथवा स्टेराइलजेशन और श्रेडिंग। शोधित अपशिष्ट को ऊर्जा पुनः प्राप्ति हेतु भेजा जाएगा।</p>
	<p><b>(घ) अवसित या व्यक्त दवाइयां :</b></p> <p>औषधीय अपशिष्ट जैसे कि एंटीबायोटिक्स, साइटोटॉक्सिक औषधियां जिसमें शीशे के साथ साइटोटॉक्सिक औषधियों से संदूषित सभी मर्दे, प्लास्टिक एम्पूल, गोलियां आदि शामिल हैं।</p>	<p>गैर-क्लोरीनीकृत पीले रंग की प्लास्टिक की थैलियां अथवा आधान</p>	<p>अवसित साइटोटॉक्सिक दवाइयां और साइटोटॉक्सिक दवाइयों से संदूषित दवाइयां &gt;1200 डिग्री से. तापमान पर भस्म करने के लिए विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता को वापस कर दी जाएं या &gt;1200 डिग्री से. तापमान पर भस्म करने के लिए साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा या परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा को भेज दी जाएं या &gt;1200 डिग्री से. तापमान एनकेप्सुलेशन या प्लाज्मा पाइरोलाइसिस किया जाए।</p> <p>अन्य सभी अवसित दवाइयां या तो</p>

			विनिर्माता को वापस भेज दी जाएं या भस्म करके निपटान कर दिया जाए।
<b>(ड.) रासायनिक अपशिष्ट :</b> जैव-विज्ञान संबंधी मदों के उत्पादन में उपयोग में लाए गए या व्यक्त विसंक्रामकों के लिए उपयोग में लाए गए रसायन।	गैर-क्लोरीनीकृत पीले रंग की प्लास्टिक की थैलियां या आधान	परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा में भस्मीकरण या प्लाज्मा पाइरोलासिस या एनकेप्सुलेशन द्वारा निपटान किया जाए।	
<b>(च) रासायनिक द्रव अपशिष्ट :</b> जीव विज्ञान संबंधी मदों के उत्पादन या अतिक्रान्त विसंक्रामकों के लिए, उपयोग में लाए जाने के कारण द्रव अपशिष्ट सिल्वर एक्स-रे फिल्म विकसित करने वाला द्रव, निष्प्रयोजन फोरमेलिन, संक्रमित स्राव, एस्पाइरेटेड शरीर द्रव, प्रयोगशालाओं, फर्श की सफाई, धुलाई, हाउस कीपिंग और विसंक्रमण कार्यकलापों से निकलने वाले द्रव।	बहिःस्राव शोधन प्रणाली में जाने वाली अलग संग्रहण प्रणाली	रिकवरी के बाद, रासायनिक द्रव अपशिष्ट को अन्य जल में मिश्रित होने से पहले पूर्व-उपचारित किया जाएगा। संयुक्त निस्सरण अनुसूची-III में दिए गए निस्सरण सन्नियमों के अनुरूप होगा।	
<b>(छ) रक्त अथवा शारीरिक द्रव से संदूषित</b>	गैर-क्लोरीनीकृत पीली प्लास्टिक की	गैर-क्लोरीनीकृत रासायनिक विसंक्रमण के बाद भस्मन या प्लाज्मा पाइरोलासिस या	

	फेंके गए लीनेन, बिस्तर	थैलियां या उपयुक्त पैकिंग सामग्री	एनर्जी रिकवरी द्वारा। उपर्युक्त सुविधाओं की अनुपस्थिति में, श्रेडिंग अथवा म्युटिलेशन अथवा स्टेराइल्लिजेशन तथा श्रेडिंग का मिश्रण/उपचारित अपशिष्ट को ऊर्जा प्राप्ति अथवा भस्मन अथवा प्लाज्मा पाइरोलाइसिस के लिए भेजा जाए।
	<b>(ज) सूक्ष्मजैविकी, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य क्लीनिकल प्रयोगशाला अपशिष्ट :</b>  प्रयोगशाला संवर्धों, सूक्ष्म जीवों के संग्रह या नमूने, सजीव या अनुकूल टीके, अनुसंधान और औद्योगिक प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त मानवीय और पशु कोशिका संवर्धों, जैविकों, अवशेष जीवविषों, संबंधों हेतु प्रयुक्त पात्रों और यंत्रों का उत्पादन।	ऑटोकलेव सुरक्षित प्लास्टिक की थैलियां या आधान	इसके बाद भस्मन के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार स्थल पर गैर क्लोरीनीकृत रसायनों से पूर्व उपचारित अथवा स्टेरेलाइज ।
लाल	<b>संदूषित अपशिष्ट (पुनर्चक्रण योग्य) :</b>  (क) ट्यूबिंग्स, बोटलों, इंद्रावीनस ट्यूबों और सेटों, कैथेटर्स, मूत्र की थैलियों, सिरिंजों (बिना	लाल रंग की गैर-क्लोरीनीकृत प्लास्टिक थैलियां या आधान	ऑटोकलेविंग या माइक्रोवेविंग/ हाइड्रोक्लेविंग के पश्चात श्रेडिंग या म्युटिलेशन या श्रेडिंग और विसंक्रमण का संयोजन। उपचारित अपशिष्ट रजिस्ट्रीकृत या प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को या एनर्जी रिकवरी के लिए या प्लास्टिक डीजल या

	<p>सूई वाला और सूई लगी सिरिंज तथा वैक्युटेनरों, जिनकी सूई कटी हो और दस्तानों) जैसी निपटान योग्य मदों से उत्पन्न अपशिष्ट।</p>		<p>ईंधन तेल या सड़क बनाने के लिए जो भी संभव हो, भेजा जाए।</p> <p>प्लास्टिक अपशिष्ट भू-भरण स्थलों पर नहीं भेजना चाहिए।</p>
<p>सफेद (पारभासी)</p>	<p><b>धातुओं सहित नॉकदार अपशिष्ट :</b></p> <p>सूइयां, सूइयां लगी सिरिंजें, सूई की नोक के कटर या बर्नर से निकली सूइयां, स्कालपेल्स, ब्लेड या कोई अन्य संदूषित नोकदार वस्तु जो वेधन और कर्तन का कारण बन करती है। इसमें प्रयुक्त, निष्प्रयोजन और संदूषित नोकदार धातु की वस्तुएं शामिल हैं।</p>	<p>पंचर प्रूफ, लीक प्रूफ, टैंपर प्रूफ आधार</p>	<p>ऑटोक्लेविंग या शुष्क ऊष्मा विसंक्रमण उसके पश्चात धातु के कंटेनर या सीमेंट कंक्रीट में श्रेडिंग या म्युटिलेशन या एनकेप्सुलेशन; श्रेडिंग कम ऑटोक्लेविंग का संयोजन, और अंतिम निपटान के लिए लोहे की संधानशालाओं (जिनके पास राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के प्रचालन की सहमति है) या स्वच्छता भू-भरण स्थलों या नामोदिष्ट कंक्रीट अपशिष्ट शार्प पिट के लिए भेज दिया जाए।</p>
<p>नीला</p>	<p><b>(क) कांच के बर्तन :</b></p> <p>टूटा हुआ त्यक्त या संदूषित कांच, जिसमें दवाई की शीशियां और सम्पूल्स शामिल हैं परन्तु इसमें साइटोटॉक्सिक अपशिष्ट से संदूषित</p>	<p>नीले रंग की मार्किंग वाले गत्ते के बक्से</p>	<p>विसंक्रमण (डिजैट और सोडियम हाइपोक्लोराइट शोधन के साथ साफ करने के बाद डुबा कर धुलाई किया गया कांच का अपशिष्ट) या ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग या हाइड्रोक्लेविंग के जरिए और उसके पुनःचक्रण के लिए भेजे।</p>

	वस्तुएं शामिल नहीं हैं।		
	(ख) धातु की बॉडी वाले इम्प्लान्ट	नीले रंग की मार्किंग वाले गत्ते के बक्से	

\*गहरा दबाकर निपटान करने की अनुमति केवल ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है जहां साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार की सुविधा सुलभ नहीं है। ऐसा विहित प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके और अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार किया जाएगा। गहरा दबाने की सुविधा समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी उपबंधों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार अवस्थित की जाएंगी।

## भाग - 2

- (1) सभी प्लास्टिक की थैलियां बीआईएस मानकों, जब भी प्रकाशित किए जाएंगे, के अनुसार होंगी तब तक वर्तमान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू होंगे।
- (2) कम से कम 10% सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग करने वाले रासायनिक उपचार को जिसमें बीस मिनट के लिए 30% अवशिष्ट क्लोराइन या कोई अन्य समतुल्य रासायनिक रीजेंट होता है, सूक्ष्म जीव के लिए  $\text{Log}_{10}4$  हास इफिशिएंसी दर्शानी चाहिए, जैसा कि अनुसूची-III में दिया गया है।
- (3) म्युटिलेशन या श्रेडिंग उस सीमा तक करना आवश्यक है जिससे अप्राधिकृत पुनः उपयोग को रोका जा सके।
- (4) माइक्रोबायोलॉजिकल, प्रयोगशाला और अत्यधिक संक्रामक अपशिष्ट को छोड़कर भस्मन से पहले कोई रासायनिक पूर्व-उपचार नहीं किया जाएगा।
- (5) भस्मन की राख (किसी जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के भस्मन से निकलने वाली राख) का निपटान परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा के माध्यम से किया जाएगा यदि उसमें विषाक्त या खतरनाक संघटक खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 दी गई या समय-समय यथा संशोधित विहित सीमा से अधिक पाए जाते हैं।
- (6) विधिमान्य अवधि के बाद के मृत भ्रूणों को (समय-समय पर यथा संशोधित एमटीपी अधिसूचना, 1971 के अनुसार) मानव शरीर-रचना का अपशिष्ट माना जा सकता है। ऐसे अपशिष्ट को अस्पताल या चिकित्सा देखभाल स्थापना के प्रसूति-विशेषज्ञ या चिकित्सा

- अधीक्षक के आधिकारिक गर्भ का चिकित्सीय समापन प्रमाणपत्र के साथ पीली थैली में साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा के प्रचालक को सौंपा जाना चाहिए।
- (7) साइटोटॉक्सिक औषधि की शीशियां किसी भी परिस्थिति में अप्राधिकृत व्यक्ति को नहीं सौंपनी चाहिए। किसी एक स्थान पर आवश्यक निपटान के लिए इन्हें वापस निर्माता के पास वापस भेजना चाहिए। दूसरे विकल्प के रूप में इन्हें >1200 डिग्री से. तापमान पर साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा या परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा या प्लाज्मा पाइरोलिसिस में भस्मन के लिए भेज दिया जाए।
- (8) अवशिष्ट या व्यक्त रासायनिक अपशिष्टों, प्रयुक्त या व्यक्त विसंक्रामकों और रासायनिक गाद का निपटान परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा में किया जा सकता है। इस प्रकार के मामले में, अपशिष्ट को परिसंकटमय अपशिष्ट शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा के पास केवल साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा के प्रचालक के माध्यम से भेजना चाहिए।
- (9) प्रयोगशाला अपशिष्ट, सूक्ष्मजीव अपशिष्ट, रक्त के नमूनों, रक्त की थैलियों को स्थल पर पूर्व उपचारित करके विश्व स्वास्थ्य संगठन या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विसंक्रमित या जीवाणुरहित किया जाना चाहिए और उसके बाद साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा को दिया जाना चाहिए।
- (10) इन हाउस भस्मक स्थापित करने की अनुमति नहीं है। तथापि, यदि समीप में कोई साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निपटान सुविधा नहीं है तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने के बाद अधिभोगी द्वारा इसे स्थापित किया जा सकता है।
- (11) सिरिंजो को या तो म्युटिलेम्युटिलेट कर देना चाहिए या सूइयों को काट देना चाहिए तथा अथवा नुकीली वस्तुओं के भंडारण के टेम्पर प्रूफ, लीक प्रूफ और पंचर प्रूफ आधानों में इनका भंडारण करना चाहिए। जहां कहीं अधिभोगी किसी निपटान सुविधा संबद्ध नहीं है विहित रीति के अनुसार विसंक्रमण और निपटान करने की जिम्मेदारी अधिभोगी की होगी।
- (12) स्वास्थ्य देखभाल के कार्यकलापों के दौरान घरों में जनित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को इन नियमों के अनुसार पृथक किया जाएगा और अलग थैलियों या आधानों में नगरपालिका के अपशिष्ट संग्रहकर्ता को सौंपा जाएगा। अनूसूची में यथा निहित रीति में अंतिम निपटान के लिए शहरी स्थानीय निकाय, साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा के बीच व्यवस्था के अनुसार सामग्री प्रतिप्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) से या सीधा घर से इस अपशिष्ट को उठवाने की व्यवस्था करेगा।

## अनुसूची-II

(नियम 4(ण), 7(1) और 7(6) देखें)

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार और निपटान हेतु मानक

### 1. भस्मक के लिए मानक.-

सभी भस्मक निम्नलिखित प्रचालन और उत्सर्जन मानक पूरे करेंगे.-

#### क. प्रचालन मानक

- (1) दहन दक्षता (CE) कम से कम 99.00%
- (2) दहन दक्षता की गणना इस प्रकार की जाती है :

$$CE = \frac{\%CO_2}{\%CO_2 + \%CO} \times 100$$

- (3) प्राइमरी चैम्बर का तापमान न्यूनतम 800<sup>0</sup> सेल्सियस और सेकेण्डरी चैम्बर का न्यूनतम तापमान 1050<sup>0</sup> सेल्सियस + या -50<sup>0</sup> सेल्सियस होगा।
- (4) सेकेण्डरी चैम्बर में गैस रहने का समय कम से कम दो सेकेंड होगा।

#### ख. उत्सर्जन मानक

क्र.सं.	पैरामीटर	मानक	
1.	2.	3.	4.
		जब तक सूचित न किया गया हो mg/NM <sup>3</sup> में सांद्रता सीमांत	जब तक सूचित न किया गया हो, मिनट वार सैपलिंग अवधि
1.	महीन कण	50	30 अथवा सैम्पल वॉल्यूम का 1NM <sup>3</sup> जो भी अधिक हो
2.	नाइट्रोजन ऑक्साइड NO और NO <sub>2</sub>	400	ऑनलाइन सैम्पलिंग या ग्रैब सैम्पल के लिए 30
3.	एचसीएल	50	30 या सैम्पल वॉल्यूम का

			1NM <sup>3</sup> का जो भी अधिक हो
4.	कुल डायोक्सिन और फुरान**	0.1 ngTEQ/NM <sup>3</sup> (11% O <sub>2</sub> पर)	8 घंटे या सैम्पल वॉल्यूम का 5 NM <sup>3</sup> का जो भी अधिक हो
5.	एचजी और इसके यौगिक	0.05	2 घंटे या सैम्पल वॉल्यूम का 1NM <sup>3</sup> जो भी अधिक हो

(ग). स्टैक ऊंचाई : न्यूनतम स्टैक ऊंचाई भूमि से 30 मीटर ऊपर होगी तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन यथा अधिसूचित और उत्सर्जन विनियम भाग-3 के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार "साधारण प्रांचल पैरामीटरों" की मॉनीटरिंग करने की यथा अपेक्षित आवश्यक मॉनीटरिंग सुविधाओं से जुड़ा होगा।

#### टिप्पण :

- (क) विद्यमान भस्मक अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अंदर उपर्युक्त का अनुपालन करेंगे।
- (ख) विद्यमान भस्मक इन नियमों के लागू होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर नीचे दिए गए अनुसार डायोक्सिनों और फुरान के 0.1 ngTEQ/Nm<sup>3</sup> मानकों का अनुपालन करेंगे।
- (ग) भस्मक की सुविधा वाली या कैप्टिव भस्मक वाली आगामी सभी साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाएं डायोक्सिनों और फुरान के मानकों का अनुपालन करेंगी।
- (घ) यदि आवश्यक, हो तो उपर्युक्त उत्सर्जन सीमाओं की प्राप्ति हेतु विद्यमान द्वितीयक भस्मक चेम्बर में उपर्युक्त रूप से तैयार किए गए प्रदूषण नियंत्रक यंत्र लगे होने चाहिए या बाद में लगा देने चाहिए।
- (ङ.) भस्म किए जाने वाले अपशिष्टों को किसी भी प्रकार के क्लोरीनीकृत जीवाणुनाशकों से रासायनिक रूप से शोधित नहीं किया जाएगा।
- (च) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के भस्मीकरण से प्राप्त राख का निपटान साझा खतरनाक अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। तथापि यदि भस्मीकरण राख में विषैली धातुएं समय-समय पर यथा संशोधित परिसंकटमय खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन तथा सीमा-पारीय संचलन) नियम, 2008 के अधीन यथा परिभाषित विनियामक मात्राओं के भीतर हैं तो इनका निपटान नगरीय भूमि भरण स्थल में किया जाएगा।

- (छ) भस्मक में ईंधन के रूप में केवल हल्के डीजल ऑयल या न्यून सल्फर भारी स्टॉक या डीजल, संपीडित प्राकृतिक गैस, द्रवीभूत प्राकृतिक गैस अथवा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जैसे केवल न्यून सल्फर ईंधन का प्रयोग किया जाएगा।
- (ज) किसी साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अनुमोदित किसी प्रयोगशाला के माध्यम से तीन माह में एक बार स्टैक गैसीय उत्सर्जन (भस्मक की इष्टतम क्षमता के अधीन) की मॉनीटरिंग करेगा और उक्त विश्लेषण परिणामों का अभिलेख रखा जाएगा तथा विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। डायोक्सिनों और फुरान के मामले में वर्ष में एक बार मॉनीटरिंग की जाएगी।
- (झ) साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक प्राधिकार में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा नियत प्रांचलों के लिए सतत उत्सर्जन मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित करेगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वरों के लिए वास्तविक समय के आंकड़े प्रेषित करेगा।
- (ञ) सभी मॉनीटरी किए गए मान शुष्क आधार पर 11% ऑक्सीजन तक शुद्ध किए जाएंगे।
- (ट) भस्मक (दहन चैम्बर) ऐसे तापमान, धारण समय और विक्षोभ के साथ प्रचालित किए जाएंगे जिससे धातुमल और तली की राख में कुल जैविक कार्बन की मात्रा 3% से कम प्राप्त की जा सके या ज्वलन पर उनकी क्षति शुष्क भार की 5% से कम हो।
- (ठ) साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट भस्मक का अधिभोगी या प्रचालक CO<sub>2</sub>, CO और O<sub>2</sub> को मापने के लिए दहन गैस एनालाइजर का प्रयोग करेगा।

## 2. प्लाज्मा पाइरोलाइसिस या गैसीफिकेशन द्वारा निपटान के लिए प्रचालन और उत्सर्जन मानक:

### क. प्रचालन मानक :

प्लाज्मा पाइरोलाइसिस और गैसीफिकेशन के सभी प्रचालक निम्नलिखित प्रचालन और उत्सर्जन मानकों को पूरा करेंगे :

- 1) दहन दक्षता (सीई) कम से कम 99.99% होगी।
- 2) दहन दक्षता की गणना नीचे दिए अनुसार की जाती है :

$$\text{सीई} = \frac{\% \text{CO}_2}{\% \text{CO}_2 + \% \text{CO}} \times 100$$

- 3) प्लाज्मा गैसीफिकेशन के पश्चात दहन चैम्बर का तापमान  $1050 \pm 50^{\circ}$  सेल्सियस होगा जिसके साथ गैस रहने का समय कम से 2 (दो) सेकेंड होगा और स्टैक गैस में कम से कम 3% ऑक्सीजन होगी।
- 4) स्टैक की ऊंचाई भूमि से कम से 30 मीटर होगी तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन यथा अधिसूचित और उत्सर्जन विनियम भाग-3 के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार "साधारण प्राचलों" की मॉनीटरिंग करने की यथा अपेक्षित सुविधाओं से जुड़ा होगा।

**ख. वायु उत्सर्जन मानक और वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय**

- (i) भस्मक के उत्सर्जन मानक, इस अनुसूची में ऊपर क्रम सं.1 पर अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित, प्लाज्मा पाइरोलीसिस या गैसीफिकेशन के लिए भी लागू होंगे।
- (ii) यदि आवश्यक हो तो उपर्युक्त उत्सर्जन सीमाओं को पूरा करने के लिए प्लाज्मा पाइरोलीसिस या गैसीफिकेशन के साथ या बाद में उपयुक्त डिजाइन वाले वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किए जाएंगे।
- (iii) प्लाज्मा पाइरोलीसिस या गैसीफिकेशन का उपयोग करके उपचारित किए जाने वाले अपशिष्टों को किसी क्लोरीनीकृत विसंक्रामक से रासायनिक रूप से शोधित नहीं किया जाएगा तथा क्लोरीनीकृत प्लास्टिक इस प्रणाली में शोधित नहीं किया जाएगा।

**ग. राख या काचित सामग्री का निपटान :** प्लाज्मा पाइरोलीसिस या गैसीफिकेशन से उत्पन्न राख या काचित सामग्री का निपटान यदि संघटक उक्त नियमों की अनुसूची-II के अधीन विहित सीमाओं से अधिक है तो खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 और इसके बाद किए गए संशोधनों के अनुसार अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अनुसार किया जाएगा।

**3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के ऑटोक्लेविंग हेतु मानक.-**

ऑटोक्लेव को जैव चिकित्सा अपशिष्ट को रोगाणुमुक्त और उपचारित करने के प्रयोजनार्थ ही उपयोग में लाया जाना चाहिए।

- (1) ग्रेविटी फ्लो ऑटोक्लेव का प्रचालन करते समय, चिकित्सा अपशिष्ट निम्नलिखित के अध्यधीन होगा:

- (i) कम से कम 60 मिनट के किसी ऑटोकलेव रेजिडेन्स समय हेतु कम से कम 121<sup>0</sup> से. का तापमान और 15 पाउंडस प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) का दबाव; या
- (ii) कम से कम 45 मिनट के किसी ऑटोकलेव रेजिडेन्स समय हेतु कम से कम 135<sup>0</sup> से. का मापमान और 31 पाउंडस प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) का दबाव; या
- (iv) कम से कम 30 मिनट के किसी ऑटोकलेव रेजिडेन्स समय हेतु कम से कम 149<sup>0</sup> से. का तापमान और 52 पाउंडस प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) का दबाव;

(2) किसी वैक्यूम ऑटोकलेव को प्रचालित करते समय चिकित्सीय अपशिष्ट ऑटोकलेव से संपूर्ण वायु को निष्कासित करने के लिए न्यूनतम तीन वैक्यूम-पूर्व पल्स के अध्यक्षीन होगा। वैक्यूम पूर्व चक्र के दौरान निष्कासित वायु को एचईपीए और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टरेशन, वाष्प शोधन या किसी अन्य प्रकार से संदूषण मुक्त किया जाए। अपशिष्ट निम्नलिखित के अधीन होगा :

- (i) कम से कम 45 मिनट के किसी ऑटोकलेव रेजिडेन्स समय हेतु कम से कम 121<sup>0</sup> से. का मापमान और 15 पाउंडस प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) का दबाव; या
- (ii) कम से कम 30 मिनट के किसी ऑटोकलेव रेजिडेन्स समय हेतु कम से कम 135<sup>0</sup> से. का तापमान और 31 पाउंडस प्रति वर्ग इंच (पीएसआई) का दबाव; या

(3) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को तब तक समुचित रूप से उपचारित नहीं माना जाएगा जब तक कि समय, तापमान और दबाव सूचक यह न दर्शाए कि ऑटोकलेव प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित समय, तापमान और दबाव की प्राप्ति की गई। यदि किसी भी कारण से समय, तापमान या दबाव सूचक यह दर्शाता है कि अपेक्षित तापमान, दबाव या रेजिडेन्स समय की प्राप्ति नहीं हुई थी तो चिकित्सीय अपशिष्ट का संपूर्ण भार पुनः ऑटोकलेव किया जाना चाहिए जब तक कि उचित तापमान, दबाव और रेजिडेन्स समय की प्राप्ति न हो जाए।

(4) **प्रचालन पैरामीटरों की रिकॉर्डिंग** : प्रत्येक ऑटोकलेव में ग्राफिक या कम्प्यूअर रिकॉर्डिंग यंत्र होंगे जो ऑटोकलेव चक्र की संपूर्ण अवधि में तारीखें, दिन का समय, भार पहचान संख्या और प्रचालन पैरामीटर को स्वतः और लगातार मॉनीटर तथा रिकॉर्ड करेगा।

(5) **ऑटोकलेव की विधिमान्यता जांच** : वैधता जांच में चार जीवाणु सूचक स्ट्रिप्स का प्रयोग होगा; एक का प्रयोग नियंत्रण के रूप में होगा और इसे कमरे के तापमान पर रखा जाएगा और तीन को अपशिष्ट युक्त तीन आधानों के समीपवर्ती केन्द्र में रखा जाएगा। जैविक संकेतकों को रखने के प्रयोजन से कंटेनर खोलते समय वैयक्तिक सुरक्षा उपस्कर (दस्ताने, फेस मास्क और कवरआल) का प्रयोग किया जाएगा। वाष्प भरने के लिए जैविक संकेतक सहित कम से कम एक आधान सर्वाधिक कठिन स्थान सामान्यतः अपशिष्ट के ढेर की तली के बीच रखा जाना चाहिए। अधिभोगी या प्रचालक न्यूनतम प्रचालन शर्तें निश्चित करने के लिए लगातार

तीन बार यह जांच करेंगे। तापमान, दबाव और ठहराव समय जब लगातार तीन जांचों के सभी जीवाणु संकेतक वायल्स या स्ट्रिप्स जीवाणुओं की पूर्ण रूपेण निष्क्रियता दर्शाएं तो ऑटोक्लेव के लिए न्यूनतम प्रचालन शर्तें निर्धारित की जाएंगी। न्यूनतम तापमान, दबाव और ठहराव समय अवधारित करने के पश्चात साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक तीन महीने में एक बार यह जांच करेगा और इससे संबंधित रिकॉर्ड रखा जाएगा।

6. **नेमी जांच :** किसी कतिपय तापमान की प्राप्ति का सत्यापन करने के लिए उस रसायन सूचक स्ट्रिप या टेप का प्रयोग किया जा सकता है जिसका रंग विनिर्दिष्ट तापमान पर पहुंचने पर परिवर्तित हो सकता है। यह आवश्यक होगा कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपशिष्ट पैकेज के ऊपर एक से अधिक स्ट्रिप का उपयोग किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पैकेज की आंतरिक सामग्री को पर्याप्त रूप से ऑटोक्लेव कर दिया गया है। साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक प्रत्येक बैच की ऑटोक्लेविंग के दौरान यह जांच करेगा और इससे संबंधित रिकॉर्ड रखे जाएंगे।

7. **जीवाणु जांच :** ऑटोक्लेव को प्रत्येक ऑटोक्लेव इकाई की अधिकतम डिजाइन क्षमता पर अनुमोदित जैविक सूचक को पूर्णतः और लगातार मार देना चाहिए। ऑटोक्लेव के लिए जैविक सूचक कम से कम  $1 \times 10^6$  जीवाणु प्रति मिली लीटर सहित वायल्स या जीवाणु स्ट्रिप्स का प्रयोग करते हुए बेसिल्लस स्टीएरोथर्मोफिलस स्पोर्स होगा किसी भी स्थिति में किसी ऑटोक्लेव के न्यूनतम प्रचालन प्रांचल 30 मिनट के रेजिडेन्स समय,  $121^0$  से. तापमान या 15 पीएसआई से दबाव से कम नहीं होंगे। साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन उपचार का अधिभोगी या प्रचालक सप्ताह में कम से कम एक बार जांच करेगा और इससे संबंधित रिकॉर्ड रखे जाएंगे।

#### 4. **माइक्रोवेविंग के मानक.-**

- (1) माइक्रोवेव उपचार को साइटोटॉक्सिक, खतरनाक या रेडियोधर्मी अपशिष्टों, संक्रमित पशु कंकालों, शरीर के अंगों और धातु की बड़ी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।
- (2) माइक्रोवेव प्रणाली, प्रभावकारिता परीक्षण या नेमी परीक्षणों के अनुरूप होगी और आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित सीमा का प्रचालन शुरू करने से पूर्व एक कार्य-पालन गारंटी प्रदान की जाएगी।
- (3) माइक्रोवेव को प्रत्येक माइक्रोवेव इकाई की अधिकतम डिजाइन क्षमता पर अनुमोदित जैविक सूचक द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले जीवाणु और अन्य रोगजनक जीवों को पूर्णतः और निरंतर रूप से मार देना चाहिए। माइक्रोवेव के लिए जैविक सूचक कम से कम  $1 \times 10^4$  वियोज्य पट्टी के साथ कूपक या बीजाणु पट्टी का प्रयोग करते हुए दण्डाणु अपक्षयक बीजाणु होगा। जैविक सूचक अपशिष्ट के साथ निर्धारित किए जाएंगे और उन्हीं परिस्थितियों में उजागर किए जाएंगे जैसा-सामान्य शोधन चक्र के दौरान अपशिष्ट के लिए होता है।

5. **गहराई में दबाने हेतु मानक.-** (1) लगभग दो मीटर गहरा गड्ढा या खाई खोदी जानी चाहिए। इसे अपशिष्ट से आधा भर देना चाहिए और आकी गड्ढे को मिट्टी से भरने से पहले सतह से 50 सेमी अंदर चूना भर देना चाहिए।

- (2) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दबाने वाले स्थल तक जानवरों की कोई पहुंच न हो। जस्तेदार लोहे या तारों के जाल के कवर का उपयोग किया जा सकता है।
- (3) प्रत्येक बार, जब गड्ढे में अपशिष्ट डाला जाता है, तो अपशिष्टों को ढंकने के लिए मिट्टी की 10 से.मी. की परत डाली जाएगी।
- (4) दबाने का कार्य गहन और समर्पित पर्यवेक्षण में किया जाना चाहिए।
- (5) गहराई में दबाने वाला स्थल अपेक्षाकृत अपारगम्य होना चाहिए और स्थल के पास छिछला कुआं नहीं होना चाहिए।
- (6) गड्ढे आवास-स्थल से दूर होने चाहिए और ऐसे अवस्थित होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सतही जल या भूमि जल में कोई संदूषण न हो। यह क्षेत्र बाढ़ या अपरदन के प्रति प्रवृत्त नहीं होना चाहिए।
- (7) गहराई से दबाने का स्थान, विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत होगा।
- (8) संस्था, गहराई से दबाने के लिए प्रयुक्त सभी गड्ढों का रिकॉर्ड रखेगा।
- (9) भूजल स्तर, गहराई से दबाने वाले गड्ढे के निचले स्तर से कम से कम छः मीटर नीचे होगा।

#### 6. **रासायनिक विसंक्रमण की क्षमता के लिए मानक :**

माइक्रोबियल विसंक्रमण की क्षमता "लॉग 10 किल" के बराबर मानी जाती है जिसे रासायनिक उपचार से पूर्व और बाद में सूक्ष्मजीवों की जांच की संख्या के लघुगणकों की अंतर के रूप में पारिभाषित किया गया है। रासायनिक विसंक्रमण पद्धतियां रासायनिक उपचार प्रणालियों में बेसिल्स सबटिलिस (एटीसीसी 19659) के लिए 4 लॉग 10 कमी या अधिक का प्रदर्शन करेंगी।

#### 7. **शुष्क ऊष्मा द्वारा जीवाणुनाशन के लिए मानक :**

नुकीले अपशिष्ट को कम से कम 185<sup>0</sup> सेल्सियस तापमान पर शुष्क ऊष्मा जीवाणुनाशन के द्वारा उपचारित किया जा सकता है, इसमें प्रत्येक चक्र में रहने की अवधि न्यूनतम 150 मिनट होगी जिसमें जीवाणुनाशन की अवधि 90 मिनट होगी। प्रचालन प्रांचलों की मॉनीटरिंग करने के लिए स्वचालित रिकॉर्डिंग प्रणाली होनी चाहिए।

#### (i) **नुकीले अपशिष्ट की जीवाणुनाशन यूनिट की विधिमान्यता जांच**

कम से कम लॉग<sub>10</sub> 6 बीजाणु प्रति मि.ली. वाली शीशियों का उपयोग करके नुकीले अपशिष्ट की जीवाणुनाशन यूनिट को जैविक सूचक जीओबेसिलस स्टैरोथर्मोफिलस या बेसिलस एट्रोफीयसपोरस को पूर्णतः और सतत रूप से मार देना चाहिए। यह जांच तीन माह में एक बार की जाएगी।

## (ii) नेमी जांच

इस बात की जांच करने के लिए कि एक कतिपय तापमान प्राप्त कर लिया गया है, एक ऐसी रासायनिक सूचक पट्टी या टेप का उपयोग किया जा सकता है जो एक विनिर्दिष्ट तापमान पहुंचने पर रंग बदल देती है। यह आवश्यक है कि अपशिष्ट पर एक से अधिक पट्टियों का उपयोग किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नुकीले अपशिष्टों भीतरी भाग पर्याप्त रूप से विसंक्रमित हो गया है। यह जांच सप्ताह में एक बार की जाएगी और इससे संबंधित रिकॉर्ड रखा जाएगा।

## 8. द्रव अपशिष्ट के लिए मानक.-

(1) किसी साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के अधिभोगी या प्रचालक के भवन से उत्सर्जित या उपचारित बहिःस्राव को छोड़े जाने से पहले निम्नलिखित सीमाओं का अनुपालन किया जाना चाहिए -

प्रांचल	अनुमेय सीमाएं
पीएच (pH)	6.5-9.0
निलंबित ठोस	100 मिग्रा/लीटर
तेल और ग्रीस	10 मिग्रा/लीटर
बीओडी	30 मिग्रा/लीटर
सीओडी	250 मिग्रा/लीटर
जैव-परिमाण परीक्षण	100% बहिःस्राव में 96 घंटों के बाद मछली की 90% उत्तर जीविता

(2) बहिःस्राव शोधन संयंत्र अवमल को भस्म करने के लिए साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा को या निपटान के लिए परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा को दिया जाएगा।

## अनुसूची-III

(नियम 6 और 9(3) देखें)

विहित प्राधिकरणों और तदनुरूपी कर्तव्यों की सूची

क्र.सं.	प्राधिकरण	तदनुरूपी कर्तव्य
1.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार	(i) नियमों की अधिसूचना और जब कभी अपेक्षित हो इन नियमों में संशोधनों सहित देश में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी नीतियां बनाना।

		(ii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के लिए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यकलापों के संबंध में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
		(iii)	साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधाओं की स्थापना या उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
		(iv)	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट और विगत में अज्ञात निपटान योग्य तथा नए प्रकार के उपस्करों के अपशिष्ट के कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य को जोखिमों के संदर्भ में अनुसंधान और निर्धारण कार्य शुरू करना और उनमें सहायता करना।
		(v)	नियमों को लागू करने के लिए मॉनीटरिंग समिति गठित करना।
		(vi)	विहित प्राधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध प्ररूप-V में की गई अपील सुनना और उन पर निर्णय देना।
		(vii)	प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानक मैनुअल तैयार करना।
		(viii)	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, अनुसूची-I में सूचीबद्ध को छोड़कर, के शोधन की नई प्रौद्योगिकियों के लिए प्रचालन प्रांचलों के मानक अधिसूचित करना।
2.	केन्द्रीय या राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्रालय या राज्य पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग	(i)	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध के लिए विहित प्राधिकारी से प्राधिकार प्राप्त करने के अध्याधीन स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं या नर्सिंग होम या पशु चिकित्सा प्रतिष्ठानों हेतु अनुज्ञापति प्रदान करना।
		(ii)	इन नियमों के अधीन उपबंधों के उल्लंघन के लिए

			स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं या नर्सिंग होम या पशु चिकित्सा प्रतिष्ठानों हेतु अनुज्ञप्ति की मॉनीटरिंग, अस्वीकृति या रद्द करना।
		(iii)	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट जनन, उपचार और निपटान से संबंधित रजिस्ट्रीकृत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की सूची प्रकाशित करना।
		(iv)	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट और विगत में अज्ञात निपटान योग्य तथा नए प्रकार के उपस्करों के अपशिष्ट के कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य को जोखिमों के संदर्भ में अनुसंधान और निर्धारण कार्य शुरू करना और उनमें सहायता करना।
		(v)	स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के कर्मचारिवृन्दों और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट से संबंधित म्युनिसिपल कर्मचारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय करना।
		(vi)	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की समग्र समीक्षा और संवर्धन हेतु राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर विशेषज्ञ समितियों का गठन करना।
		(vii)	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यकलापों के संबंध में विनियामक प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षणों को आयोजित या प्रायोजित करना।
		(viii)	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जन जागरूकता अभियानों को प्रयोजित करना।
3.	रक्षा मंत्रालय	(i)	सशस्त्र बल स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं या साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं को

			प्राधिकार की मंजूरी और नवीकरण (नियम-9)
		(ii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से सशस्त्र बल स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं या शोधन सुविधाओं में जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबंधन का कार्य करने वाले प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।
		(iii)	अधिभोगियों और सशस्त्र बल स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं या अधिभोगियों से जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के उत्पादन की सूची प्रकाशित करना।
		(iv)	नियमों को लागू करने के लिए सलाहकार समिति गठित करना।
		(v)	अपनी सलाहकार समिति के माध्यम से सशस्त्र बल स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उत्सर्जन के प्रबंधन की समीक्षा (नियम-11)
		(vi)	निर्धारित समयावधि के अंदर केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना (नियम 13)
4.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	(i)	जैव-चिकित्सा प्रबंधन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत करना।
		(ii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के कार्यकलापों का समन्वयन।
		(iii)	जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन का कार्य करने वाले प्राधिकरणों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।
		(iv)	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार और निपटान हेतु

			नई प्रौद्योगिकियों के लिए मानकों का निर्धारण करना (नियम-7) तथा जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों के उपचार और निपटान हेतु विहित विनिर्देशों का निर्धारण करना (नियम-7)
		(v)	देश में साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाओं की स्थापना के लिए मानदंड निर्धारित करना।
		(vi)	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तथा साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उपचार सुविधाओं का यादृच्छिक निरीक्षण या मॉनीटरिंग करना।
		(vii)	जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की समीक्षा और विश्लेषण करना तथा अपनी टिप्पणी के साथ वार्षिक रिपोर्ट के रूप में समेकित सूचना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत करना।
		(viii)	महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा द्वारा प्रचालित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का निरीक्षण और मॉनीटरिंग करना (नियम-9)
		(ix)	जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के बारे में अनुसंधान या प्रचालनात्मक अनुसंधान करना या इसमें सहायता करना।
5.	राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग या संघ राज्य क्षेत्र सरकार प्रशासन	(i)	सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं या अधिभोगियों में इन नियमों का लागू होना सुनिश्चित करना।
		(ii)	जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को पर्याप्त निधियों का आबंटन।
		(iii)	सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शोधन

			उपस्करों का प्रापण और आबंटन करना, उपभोज्य वस्तु का उपबंध करना।
		(iv)	जिलों में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन का पर्यवेक्षण करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या सहायक जिला मजिस्ट्रेट के अधीन राज्य या जिला स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन करना।
		(v)	इन नियमों के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को सलाह देना।
		(vi)	सलाहकार समितियों की सिफारिशों का सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में क्रियान्वयन करना।
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियां	(i)	अधिभोगियों और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के जनन, उपचार और निपटान संबंधी आंकड़ों की सूची बनाना।
		(ii)	आंकड़ों को समेकित करना और निर्धारित समयावधि के अंदर वार्षिक रिपोर्ट में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करना।
		(iii)	इन नियमों के अधीन प्राधिकार की मंजूरी और नवीकरण, निलंबन या अस्वीकृति या रद्दकरण (नियम 7, 8 और 10)
		(iv)	प्राधिकार के विभिन्न उपबंधों और शर्तों के अनुपालन की मॉनीटरिंग।
		(v)	इन नियमों के उल्लंघन के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं या साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उपचार सुविधाओं के विरुद्ध कार्रवाई (नियम-18)।
		(vi)	जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों के पृथक्करण, एकत्रण, भंडारण, परिवहन, उपचार और निपटान के संबंध में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं या साझा जैव-

			चिकित्सीय अपशिष्ट उपचार सुविधाओं तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के कर्मचारिवृन्दों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
		(vii)	जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अनुसंधान या प्रचालनात्मक अनुसंधान करना या उसमें सहायता करना।
		(viii)	इन नियमों के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
		(ix)	सलाहकार समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन।
		(x)	पंजीकृत या प्राधिकृत (या जिन्हें सहमति दी गई है) पुनः चक्रकों की सूची प्रकाशित करना।
		(xi)	अपने राज्य में साझा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट उपचार सुविधाओं की तृतीय पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा कराना और इसमें सहायता करना।
7.	नगरपालिकाएं या निगम, शहरी स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतें	(i)	अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार साझा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उपचार सुविधा के विकास के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध या आबंटित करना।
		(ii)	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 या समय-समय पर इनमें किए गए संशोधन के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से अन्य ठोस अपशिष्ट (जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के अलावा) का संग्रहण करना।
		(iii)	इन नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कोई अन्य कार्य।

अनुसूची-IV  
(नियम 8(3) और (5) देखें)

भाग क

क. जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट आधानों/थैलियों के लिए लेबल

बायोहेजार्ड



सावधानीपूर्वक हथालन

साइटोटॉक्सिक हेजार्ड चिह्न



सावधानीपूर्वक हथालन

भाग ख

जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट आधानों या थैलियों या आधानों के परिवहन हेतु लेबल

तारीख ..... माह .....

वर्ष .....

सृजन की तारीख .....

अपशिष्ट श्रेणी सं. ....

अपशिष्ट मात्रा .....

प्रेषक का नाम और पता

दूरभाष सं. ....

फैक्स सं. ....

संपर्क सूत्र .....

प्राप्तकर्ता का नाम और पता

दूरभाष सं. ....

फैक्स सं. ....

संपर्की व्यक्ति .....

आपात स्थिति में कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें

नाम और पता :

दूरभाष सं. :

टिप्पणी : लेबल धुल जाने योग्य नहीं होंगे और प्रमुखता से दिखाई देने वाले होंगे।

प्ररूप 1

[नियम 4(ण), 5(झ) और 15(2) देखें]

दुर्घटना की रिपोर्ट

1. दुर्घटना की तारीख और समय :
2. दुर्घटना का स्वरूप :
3. दुर्घटना होने का घटनाक्रम :
4. क्या प्राधिकरण को तत्काल सूचित किया गया है :
5. दुर्घटना में अंतर्विलित अपशिष्ट का स्वरूप :
6. मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दुर्घटनाओं के प्रभावों का निर्धारण :
7. किए गए आपात उपाय :
8. दुर्घटनाओं के प्रभावों का उपशमन करने के लिए उठाए गए कदम :
9. इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदम :
10. क्या आपकी सुविधा की कोई आपात नियंत्रण नीति है? यदि हां, तो ब्यौरा दें :

तारीख :.....

हस्ताक्षर.....

स्थान : .....

पदनाम .....

**प्ररूप 2**  
**(नियम 10 देखें)**

**प्राधिकार या प्राधिकार के नवीकरण हेतु आवेदन**

(स्वास्थ्य देखभाल सुविधा या साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के अधिभोगी द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में

विहित प्राधिकारी,  
(राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम)  
पता

**1. आवेदक का विवरण**

- (i) आवेदक का नाम :  
(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)
- (ii) स्वास्थ्य देखभाल सुविधा (एचसीएफ) या साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा (सीबीडब्ल्यूटीएफ) का नाम :
- (iii) पत्राचार के लिए पता :
- (iv) टेलीफोन नं., फैक्स नं. :
- (v) ई-मेल :
- (vi) वेबसाइट का पता :

**2. कार्यकलाप जिसके लिए प्राधिकार मांगा गया है :**

कार्यकलाप	कृपया (√) निशान लगाएं
जनन, पृथक्करण	
संग्रहण	
भंडारण	
पैकेजिंग	
प्राप्ति	

परिवहन	
उपचार या प्रसंस्करण या रूपान्तरण	
पुनःचक्रण	
निपटान या नष्ट करना	
उपयोग	
बिक्री, स्थानान्तरण के लिए प्रस्तुत करना	
हथालन का कोई और स्वरूप	

3. आवेदन पत्र  नए या  प्राधिकार के नवीकरण के लिए है (कृपया जो लागू हो उसे (√) करें):

(i) नवीकरण के मामले में पिछले प्राधिकार का नम्बर और तारीख

-----

(ii) सहमतियों की स्थिति :

(क) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन

-----

(ख) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन

-----

4. (i) स्वास्थ्य देखभाल सुविधा (एचसीएफ) अथवा साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) का पता :

(ii) स्वास्थ्य देखभाल सुविधा (एचसीएफ) अथवा साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) के जीपीएस निर्देशांक :

5. स्वास्थ्य देखभाल सुविधा (एचसीएफ) या साझा जैव चिकित्सा उपचार सुविधा (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) के ब्यौरे :

(i) एचसीएफ के बिस्तरों की संख्या :

(ii) एचसीएफ द्वारा प्रति माह उपचारित रोगियों की संख्या :

(iii) सीबीएमडब्ल्यूटीएफ के अधीन स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की संख्या : \_\_\_\_\_

(iv) सीबीएमडब्ल्यूटीएफ के अधीन बिस्तरों की संख्या : \_\_\_\_\_

- (iv) सीबीएमडब्ल्यूटीएफ की प्रतिष्ठापित उपचार एवं निपटान क्षमता : \_\_\_ किलोग्राम प्रतिदिन
- (vi) सीबीएमडब्ल्यूटीएफ द्वारा उपचारित या निपटाए गए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की मात्रा : \_\_\_\_\_ कि.ग्रा. प्रतिदिन
- (vii) सीबीएमडब्ल्यूटीएफ के अधीन क्षेत्रफल और दूरी : \_\_\_\_\_  
(सीबीएमडब्ल्यूटीएफ के स्थान और अधीन आने वाले क्षेत्रफल को दर्शाने वाला नक्शा संलग्न करें)
- (viii) हथालन, उपचार या निपटान किए गए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की मात्रा :

श्रेणी	अपशिष्ट का स्वरूप	उत्पादित या संग्रहीत मात्रा (कि.ग्रा. प्रतिदिन )	उपचार और निपटान की पद्धति (अनुसूची-I )
(1)	(2)	(3)	(4)
पीला	(क) मानव शारीरिक रचना अपशिष्ट		
	(ख) पशु शारीरिक रचना अपशिष्ट		
	(ग) ठोस अपशिष्ट		
	(घ) समाप्त या त्यक्त गई दवाएं		
	(ड.) रासायनिक ठोस अपशिष्ट		
	(च) रासायनिक द्रव अपशिष्ट		
	(छ) फेंकी गई लिनिन, चादरें, बिस्तरें (रक्त या शरीर के द्रव से संदूषित)		
	(ज) सूक्ष्म जीवविज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी और अन्य क्लीनिकल प्रयोगशाला अपशिष्ट		
लाल	संदूषित अपशिष्ट (पुनः चक्रण योग्य)		
सफेद (पारभासी)	धातुओं सहित अपशिष्ट शार्प		
नीला	शीशे के बर्तन		

	मेटालिक बॉडी इम्प्लांट		
--	------------------------	--	--

6. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के हथालन की व्यवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण (ब्यौरा संलग्न करें):

(i) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के परिवहन की पद्धति (यदि कोई हो) :

(ii) शोधन उपस्कर के ब्यौरे :

(कृपया ब्यौरा दें जैसे कि प्रत्येक इकाई की संख्या, प्रकार और क्षमता)

	इकाइयों की संख्या	प्रत्येक इकाई की क्षमता
भस्मन यंत्र		
प्लाज्मा पाइरोलाइसिस		
ऑटोक्लेव		
माइक्रोवेव		
हाइड्रोक्लेव		
श्रेडर		
सूई की नोक काटने वाला नष्ट करने वाला		
शार्प एनकेप्सुलेशन या कंक्रीट पिट:		
डीप बरियल पिट		
रासायनिक विसंक्रमण		
कोई अन्य उपचार उपस्कर		

7. साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) की आपात योजना :

8. पूर्ववर्ती प्राधिकार की अवधि के दौरान निर्देशों या सूचनाओं या विधिक कार्रवाइयों के ब्यौरे, यदि कोई हो :

9. घोषणा :

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण और दी गई सूचना मेरे संपूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है तथा मैंने कोई भी सूचना छुपाई नहीं है।

में इन नियमों के संबंध में विहित प्राधिकरण द्वारा मांगी गई कोई और सूचना उपलब्ध कराने और विहित प्राधिकरण द्वारा विहित कोई भी शर्त को पूरा करने का भी वचन देता हूं।

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

आवेदक का पदनाम

**प्ररूप 3**  
**(नियम 10 देखें)**

**प्राधिकार**

(जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के जनन, संग्रहण, प्राप्ति, उपचार, भंडारण, परिवहन और निपटान के लिए प्राधिकार)

1. प्राधिकार की फाइल संख्या और जारी करने की तारीख .....
2. मैसर्स \_\_\_\_\_ को, जो \_\_\_\_\_ पर स्थित सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक है, निम्नलिखित के लिए प्राधिकार प्रदान किया जाता है;

कार्यकलाप	कृपया (√) का निशान लगाएं
जनन, पृथक्करण	
संग्रहण	
भंडारण	
पैकेजिंग	
प्राप्त करना	
परिवहन	
उपचार या प्रसंस्करण या रूपान्तरण	
पुनःचक्रण	
निपटान या नष्ट करना	
उपयोग करना	
बिक्री, स्थानान्तरण के लिए प्रस्तुत करना	
हथालन का कोई अन्य स्वरूप	

3. मैसर्स \_\_\_\_\_ को नीचे दी गई क्षमता के अनुसार जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :-

- (i) एचसीएफ के बिस्तरों की संख्या :
- (ii) सीबीएमडब्ल्यूटीएफ के अधीन आने वाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की संख्या : \_\_\_\_\_
- (iii) प्रतिष्ठापित उपचार और निपटान क्षमता \_\_\_\_\_ कि.ग्रा. प्रति दिन
- (iv) सीबीएमडब्ल्यूटीएफ के अधीन आने वाला क्षेत्र या दूरी : \_\_\_\_\_

---

- (v) हथालन, उपचार या निपटान किए गए जैव चिकित्सा अपशिष्ट की मात्रा :

अपशिष्ट के स्वरूप की श्रेणी      हथालन के लिए अनुमति दी गई मात्रा

पीला

लाल

सफेद (पारभासी)

नीला

3. यह प्राधिकार जारी किए जाने की तारीख से \_\_\_\_\_ वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा।

4. यह प्राधिकार नीचे दी गई शर्तों और पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986 के तहत वर्तमान में लागू नियमों में यथा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन होगा।

तारीख : .....

हस्ताक्षर.....

स्थान : .....

पदनाम .....

प्राधिकार के निबंधन और शर्तें\*

1. यह प्राधिकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन में होगा।
2. यह प्राधिकार या इसका नवीकरण, विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुरोध पर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

3. विहित प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्टों को किराए पर नहीं दिया जाएगा, उधार नहीं दिया जाएगा; विक्रय नहीं किया जाएगा या अन्तरित या अन्यथा परिवहन नहीं किया जाएगा।
4. प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन में यथा उल्लिखित कार्मिक, उपस्कर या कार्य स्थितियों में किसी भी अनधिकृत परिवर्तन किए जाने से उसका प्राधिकार भंग हो जाएगा।
5. प्राधिकृत व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सुविधा को बंद करने से पहले विहित प्राधिकारी पूर्वानुमति प्राप्त करे और विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करे।

**प्ररूप 4**  
**(देखें नियम-13)**  
**वार्षिक रिपोर्ट**

स्वास्थ्य देखभाल सुविधा (एचसीएफ) या साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) के अधिभोगी द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के जनवरी से दिसम्बर माह तक की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जून को या उससे पहले विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए)

क्र.सं.	विवरण		
1.	अधिभोगी का विवरण		
	(i) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम (सुविधा का अधिभोगी या प्रचालक)	:	
	(ii) एचसीएफ या सीबीएमडब्ल्यूटीएफ का नाम	:	
	(iii) पत्राचार के लिए पता	:	
	(iv) सुविधा का पता	:	
	(v) टेलीफोन नं. और फैक्स नं.	:	
	(vi) ई-मेल आईडी	:	
	(vii) वेबसाइट का यूआरएल	:	
	(viii) एचसीएफ या सीबीएमडब्ल्यूटीएफ के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स	:	
	(ix) एचसीएफ या सीबीएमडब्ल्यूटीएफ का स्वामित्व	:	(राज्य सरकार या प्राइवेट या अर्द्धसरकारी या कोई अन्य)
	(x) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमों के तहत प्राधिकार की स्थिति	:	प्राधिकार सं. .... तारीख ..... तक विधिमान्य

	(xi) जल अधिनियम और वायु अधिनियम के तहत सहमतियों की स्थिति	:	दिनांक ..... तक विधिमान्य
2.	स्वास्थ्य देखभाल सुविधा का स्वरूप	:	
	(i) बिस्तर वाला अस्पताल	:	बिस्तरों की संख्या .....
	(ii) बिना-बिस्तर वाला अस्पताल (क्लीनिक या रक्त बैंक या क्लिनिकल प्रयोगशाला या अनुसंधान संस्थान या पशु अस्पताल या कोई अन्य)	:	
	(iii) अनुज्ञप्ति संख्यांक और इसकी समाप्ति की तारीख	:	
3.	सीबीएमडब्ल्यूटीएफ के ब्यौरे	:	
	(i) सीबीएमडब्ल्यूटीएफ के अधीन आने वाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की संख्या	:	
	(ii) सीबीएमडब्ल्यूटीएफ के अधीन आने वाले बिस्तरों की संख्या	:	
	(iii) सीबीएमडब्ल्यूटीएफ की प्रतिष्ठापित उपचार एवं निपटान क्षमता	:	___ किलोग्राम प्रतिदिन
	(iv) सीबीएमडब्ल्यूटीएफ द्वारा उपचारित या निपटान किए गए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की मात्रा	:	___ किलोग्राम प्रतिदिन
4.	प्रति वर्ष किलोग्राम में जनित या निपटान किए गए अपशिष्ट की मात्रा (मासिक औसत के आधार पर)	:	पीली श्रेणी :
			लाल श्रेणी :
			सफेद श्रेणी :
			नीली श्रेणी :
			सामान्य ठोस अपशिष्ट:

5.	भंडारण, उपचार, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सुविधा के ब्यौरे																																																			
(i) स्थल पर भंडारण सुविधा के ब्यौरे	:	आकार :																																																		
		क्षमता :																																																		
		स्थल पर भंडारण के उपबंध : (कोल्ड स्टोरेज या कोई अन्य व्यवस्था)																																																		
(ii) शोधन या निपटान सुविधाओं के ब्यौरे	:	<table border="1" data-bbox="831 651 1404 1973"> <thead> <tr> <th data-bbox="836 658 1066 927">शोधन उपस्कर का स्वरूप</th> <th data-bbox="1070 658 1161 927">इकाइयों की संख्या</th> <th data-bbox="1166 658 1273 927">क्षमता किलोग्राम प्रतिदिन</th> <th data-bbox="1278 658 1401 927">प्रतिवर्ष किलोग्राम में उपचार या निपटान की गई मात्रा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="836 934 1066 1001">भस्मक</td> <td data-bbox="1070 934 1161 1001"></td> <td data-bbox="1166 934 1273 1001"></td> <td data-bbox="1278 934 1401 1001"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1008 1066 1120">प्लाजमा पाइरोलाइसिस</td> <td data-bbox="1070 1008 1161 1120"></td> <td data-bbox="1166 1008 1273 1120"></td> <td data-bbox="1278 1008 1401 1120"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1126 1066 1193">ऑटोक्लेव</td> <td data-bbox="1070 1126 1161 1193"></td> <td data-bbox="1166 1126 1273 1193"></td> <td data-bbox="1278 1126 1401 1193"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1200 1066 1267">माइक्रोवेव</td> <td data-bbox="1070 1200 1161 1267"></td> <td data-bbox="1166 1200 1273 1267"></td> <td data-bbox="1278 1200 1401 1267"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1274 1066 1341">हाइड्रोक्लेव</td> <td data-bbox="1070 1274 1161 1341"></td> <td data-bbox="1166 1274 1273 1341"></td> <td data-bbox="1278 1274 1401 1341"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1348 1066 1415">श्रेडर</td> <td data-bbox="1070 1348 1161 1415"></td> <td data-bbox="1166 1348 1273 1415"></td> <td data-bbox="1278 1348 1401 1415"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1422 1066 1579">सूई की नोक तोड़ने वाला या नष्ट करने वाला यंत्र</td> <td data-bbox="1070 1422 1161 1579"></td> <td data-bbox="1166 1422 1273 1579" style="text-align: center;">-</td> <td data-bbox="1278 1422 1401 1579"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1585 1066 1697">शार्पस् एनकेप्सुलेशन या कंक्रीट पिट</td> <td data-bbox="1070 1585 1161 1697"></td> <td data-bbox="1166 1585 1273 1697" style="text-align: center;">-</td> <td data-bbox="1278 1585 1401 1697"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1704 1066 1771">डीप बरियल पिट</td> <td data-bbox="1070 1704 1161 1771"></td> <td data-bbox="1166 1704 1273 1771"></td> <td data-bbox="1278 1704 1401 1771"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1778 1066 1890">रासायनिक विसंक्रमण</td> <td data-bbox="1070 1778 1161 1890"></td> <td data-bbox="1166 1778 1273 1890" style="text-align: center;">-</td> <td data-bbox="1278 1778 1401 1890"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="836 1897 1066 1964">कोई अन्य</td> <td data-bbox="1070 1897 1161 1964"></td> <td data-bbox="1166 1897 1273 1964"></td> <td data-bbox="1278 1897 1401 1964"></td> </tr> </tbody> </table>			शोधन उपस्कर का स्वरूप	इकाइयों की संख्या	क्षमता किलोग्राम प्रतिदिन	प्रतिवर्ष किलोग्राम में उपचार या निपटान की गई मात्रा	भस्मक				प्लाजमा पाइरोलाइसिस				ऑटोक्लेव				माइक्रोवेव				हाइड्रोक्लेव				श्रेडर				सूई की नोक तोड़ने वाला या नष्ट करने वाला यंत्र		-		शार्पस् एनकेप्सुलेशन या कंक्रीट पिट		-		डीप बरियल पिट				रासायनिक विसंक्रमण		-		कोई अन्य			
शोधन उपस्कर का स्वरूप	इकाइयों की संख्या	क्षमता किलोग्राम प्रतिदिन	प्रतिवर्ष किलोग्राम में उपचार या निपटान की गई मात्रा																																																	
भस्मक																																																				
प्लाजमा पाइरोलाइसिस																																																				
ऑटोक्लेव																																																				
माइक्रोवेव																																																				
हाइड्रोक्लेव																																																				
श्रेडर																																																				
सूई की नोक तोड़ने वाला या नष्ट करने वाला यंत्र		-																																																		
शार्पस् एनकेप्सुलेशन या कंक्रीट पिट		-																																																		
डीप बरियल पिट																																																				
रासायनिक विसंक्रमण		-																																																		
कोई अन्य																																																				

		<table border="1"> <tr> <td>उपचार उपस्कर</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	उपचार उपस्कर									
उपचार उपस्कर												
	(iii) उपचार के बाद प्राधिकृत पुनः चक्रकों को बेचे गए पुनःचक्रण योग्य अपशिष्ट की मात्रा, प्रतिवर्ष किलोग्राम में	:	लाल श्रेणी (जैसे कि प्लास्टिक, शीशा आदि)									
	(iv) जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन के लिए उपयोग में लाए गए वाहनों की संख्या	:										
	(v) अपशिष्टों के शोधन के दौरान जनित और निपटान की गई भस्मक की राख और ईटीपी कीचड़ के ब्यौरे, प्रतिवर्ष किलोग्राम में	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>जनित मात्रा</th> <th>कहां निपटान किया गया</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>भस्मक की राख</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ईटीपी कीचड़</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		जनित मात्रा	कहां निपटान किया गया	भस्मक की राख			ईटीपी कीचड़		
	जनित मात्रा	कहां निपटान किया गया										
भस्मक की राख												
ईटीपी कीचड़												
	(vi) साझा जैव चिकित्सा शोधन सुविधा के प्रचालक का नाम जिसके माध्यम से अपशिष्टों का निपटान किया जाता है	:										
	(vii) ऐसे सदस्य एचसीएफ की सूची जिन्होंने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नहीं सौंपा	:										
6.	क्या आपकी जैव-चिकित्सा अपशिष्ट	:										

	प्रबंध समिति है? यदि हां, तो रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त संलग्न करें।	
7.	बीएमडब्ल्यू के संबंध में आयोजित प्रशिक्षणों के ब्यौरे	:
	(i) बीएमडब्ल्यू प्रबंधन के संबंध में आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	:
	(ii) प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या	:
	(iii) भर्ती के समय प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या	:
	(iv) ऐसे कार्मिकों की संख्या जिन्होंने अभी कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है	:
	(v) क्या प्रशिक्षण के लिए मानक मैनुअल उपलब्ध है?	:
	(vi) अन्य कोई सूचना	
8.	वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाओं के ब्यौरे	:
	(i) घटित हुई दुर्घटनाओं की संख्या	:
	(ii) प्रभावित हुए व्यक्तियों की संख्या	:
	(iii) की गई सुधारात्मक कार्रवाई (कृपया ब्यौरे, यदि कोई हो तो संलग्न करें)	:
	(iv) क्या कोई मौत भी हुई है? ब्यौरे दें।	:
9.	क्या आप भस्मक से होने वाले वायु प्रदूषण के मानकों को पूरा करते हैं? विगत वर्ष में कितनी बार आप मानकों को पूरा नहीं कर सके?	:

	प्रतिष्ठापित की गई सतत ऑनलाइन उत्सर्जन मॉनीटरिंग प्रणालियों का विवरण	:	
10.	संचित द्रव अपशिष्ट और स्थापित उपचार पद्धतियां। एक वर्ष में आपने कितनी बार मानकों को पूरा नहीं किया है?	:	
11.	क्या विसंक्रमण या जीवाणुनाशन की पद्धति लॉग 4 के मानकों को पूरा करती है? एक वर्ष में आपने कितनी बार मानकों को पूरा नहीं किया है?	:	
12.	अन्य कोई सुसंगत सूचना	:	(भस्मक के साथ संलग्न की गई वायु प्रदूषण नियंत्रण पद्धतियां)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रिपोर्ट \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक की अवधि की है।

.....  
.....  
.....  
.....

संस्था के प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप 5

(नियम 16 देखें)

विहित प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए आवेदन

1. अपील हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम और पता :
2. आदेश की संख्या, तारीख और आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी का पता जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है (आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
3. अपील किए जाने का आधार
4. पैरा 2 में निर्दिष्ट ऐसे आदेश से भिन्न, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संलग्नकों की सूची।

तारीख

हस्ताक्षर .....

नाम और पता .....

.....

[फा.सं.3-1/2000-एचएसएमडी]

(विश्वनाथ सिन्हा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

\*\*\*\*\*